RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

(1) S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 1803/2025

URN: CMA / 3016U / 2025

1. Parvati W/o Asharam, Aged About 50 Years, R/o Sahadatnagar, Police Station Aligarh, Tehsil Uniara, District Tonk (Rajasthan).
2. Kaptan S/o Asharam, Aged About 24 Years, R/o Sahadatnagar, Police Station Aligarh, Tehsil Uniara, District Tonk (Rajasthan).
3. Harikesh S/o Asharam, Aged About 23 Years, R/o Sahadatnagar, Police Station Aligarh, Tehsil Uniara, District Tonk (Rajasthan).
4. Dineshi Kumari D/o Asharam, Aged About 16 Years, Minor Represented Through Natural Guardian Mother Parvati W/o Asharam R/o Sahadatnagar, Police Station Aligarh, Tehsil Uniara, District Tonk (Rajasthan).
5. Ratni W/o Motilal, Aged About 62 Years, R/o Sahadatnagar, Police Station Aligarh, Tehsil Uniara, District Tonk (Rajasthan).

----Claimants/Appellants

Versus

1. Ramkesh S/o Syojilal, R/o Bairwaon Ki Dhani, Ahmednagar, Tehsil Uniyara, District Tonk (Rajasthan).
....Driver Of Tractor No. RJ25-RB-9264
2. Dilkush S/o Nemichand, R/o Banjaron Ka Dhani, Ravanjnachod, Tehsil & District Swaimadhopur (Rajasthan).
....Owner Of Tractor No. RJ25-RB-9264
3. Sunil S/o Naresh, R/o Banjaron Ka Dhani, Ravanjnachod, Tehsil & District Swaimadhopur (Rajasthan).
....Owner Of Tractor No. RJ25-RB-9264
4. The New India Insurance Company Limited, Dharma Heights 10, Motilal Atal Road, M.I. Road, Jaipur.

----Non-Claimants/Respondents

<u>Connected With</u>

(2) S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 1762/2025

URN: CMA / 2951U / 2025

1. Fori Devi W/o Ramsingh, Aged About 31 Years, R/o

Khedali, Tehsil Uniyara, Distt. Tonk (Rajasthan).

2. Ajay S/o Ramsingh, Aged About 15 Years,

3. Teena D/o Ramsingh, Aged About 13 Years, Minor Through Natural Guardian Mother Fori Devi W/o Ramsingh R/o Khedali, Tehsil Uniyara, Distt. Tonk (Rajasthan).

----Claimants/Appellants

Versus

1. Ramkesh S/o Syojilal, R/o Bairwa Ki Dhani, Ahamadnagar, Tehsil Uniyara, Distt. Tonk (Rajasthan).
....Driver Of Trector No. RJ25-RB-9264

2. Dilkush S/o Nemichand, R/o Banjaro Ka Dhani, Ravajanachod, Tehsil & Distt. Swaimadhopur (Rajasthan).
....Owner Of Trector No. RJ25-RB-9264

3. Sunil S/o Naresh, R/o Banjaro Ka Dhani, Ravajanachod, Tehsil & Distt. Swaimadhopur (Rajasthan).
....Owner Of Trector No. RJ25-RB-9264

4. The New India Insurance Company Limited, Dharma Heights 10, Motilal Atal Road, M.I. Road, Jaipur.

----Non-Claimants/Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Amit Sharma, Adv. for Mr. Sandeep Jain, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Rajeev Bhushan Bansal, Adv. with Ms. Ritu Bansal, Adv. (for respondent No. 4)

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

13/07/2026

1. अपीलार्थीगण **पार्वती व अन्य** की ओर से प्रस्तुत **दीवानी विविध अपील संख्या–1803/2025** एवं अपीलार्थीगण **फोरी देवी व अन्य** की ओर से प्रस्तुत **दीवानी विविध अपील संख्या–1762/2025,** उक्त दोनों दीवानी विविध अपीलें धारा–173 मोटर वाहन अधिनियम–1988 के तहत **न्यायालय न्यायाधीश, मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, टोंक** (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के

नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा **क्लेम याचिका संख्या–277/2023, बउनवान पार्वती व अन्य बनाम रामकेश व अन्य** तथा **क्लेम याचिका संख्या–278/2023, बउनवान फोरी देवी व अन्य बनाम रामकेश व अन्य** में पारित **निर्णय दिनांक 31.01.2025** (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। जिनका निस्तारण सुविधा की दृष्टि से इस एक निर्णय के द्वारा किया जा रहा है।

2. अपीलार्थीगण **पार्वती व अन्य** द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना में **आशाराम** की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप **कुल 1,12,00,000/– रुपये** क्लेम प्राप्त करने हेतु तथा अपीलार्थीगण **फोरी देवी व अन्य** द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना में **रामसिंह** की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप **कुल 1,43,80,000/– रुपये** क्लेम प्राप्त करने हेतु पृथक–पृथक क्लेम याचिकाएं विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिकाओं का निस्तारण करते हुए याचीगण **पार्वती व अन्य** को **कुल 10,15,095/– रुपये** की क्षतिपूर्ति राशि तथा याचीगण **फोरी देवी व अन्य** को **कुल 16,16,160/– रुपये** की क्षतिपूर्ति राशि **मय ब्याज 07 प्रतिशत** सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण **पार्वती व अन्य** द्वारा व अपीलार्थीगण **फोरी देवी व अन्य** द्वारा प्रस्तुत अपीलें विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी हैं।

3. **दीवानी विविध अपील संख्या–1803/2025** व **दीवानी विविध अपील संख्या–1762/2025** के संबंध में दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक आशाराम व रामसिंह की मासिक आय 8,550/– रुपये प्रतिमाह निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की गई है। जबकि वक्त घटना मृतक आशाराम व रामसिंह खेतीबाड़ी व मजदूरी कर प्रतिमाह 20,000/– रुपये की आय अर्जित करते थे। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा कंसोर्टियम की मद में तथा अन्य मदों में भी अत्यंत कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थीगण **पार्वती व अन्य** व अपीलार्थीगण **रामसिंह**

व अन्य की ओर से प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार किया जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से अपीलार्थीगण के उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण द्वारा पारित किये गये निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थीगण की ओर से संस्थित की गयी अपीलों को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. दोनों पक्षों को सुना गया। पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

दीवानी विविध अपील संख्या—1803/2025 :—

6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 18.03.2023 की बताई गयी है तथा वक्त घटना मृतक आशाराम को खेतीबाड़ी व मजदूरी कर प्रतिमाह 20,000/— रूपये की आय अर्जित करना अवश्य बताया गया है, किन्तु मृतक की आय के संबंध में अपीलार्थीगण द्वारा कोई ठोस साक्ष्य विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी है। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना मृतक को अकुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा जाकर तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर उसकी मासिक आय 8,550/— रुपये, तद्नुसार वार्षिक आय 1,02,600/— रुपये निर्धारित कर, उपरोक्त आय पर **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2017) 16 एस.सी.सी. 680** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक की 55 वर्ष आयु को दृष्टिगत रखते हुए 10 प्रतिशत भविष्य वृद्धि अर्थात 10,260/— रुपये की बढ़ोतरी करते हुए मृतक की कुल वार्षिक आय 1,12,860/— रुपये निर्धारित की गई है।

7. तत्पश्चात् उपरोक्त निर्धारित आय पर **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रासंपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2009) 6 एस.सी.सी. 121** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 11 का गुणक प्रयोग कर कुल 12,41,460/— रुपये क्षतिपूर्ति निर्धारित कर, उपरोक्त निर्धारित राशि में से वक्त घटना मृतक पर आश्रितों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/4 भाग

अर्थात् 3,10,365/– रुपये की कटौती कर, आश्रित आय की मद में कुल 9,31,095/– रुपये की राशि अपीलार्थीगण **पार्वती व अन्य** को दिलवाई गई है, जो उचित प्रतीत होती है। इसमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

8. विद्वान अधिकरण द्वारा समस्त अपीलार्थीगण को एकमुश्त 48,000/– रुपये की राशि कंसोर्टियम की मद में दिलवाई गयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** व **यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2021) 11 एससीसी 780** व अन्य न्यायिक दृष्टांत **मेगमा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहरू राम व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2018) 18 एससीसी 130** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक आश्रित को 40,000/– रुपये कंसोर्टियम की मद में दिलवाये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। साथ ही **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में मृतक के आश्रितगण को कंसोर्टियम की मद में दी जाने वाली राशि में प्रत्येक तीन वर्ष में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी किये जाने का सिद्धान्त भी प्रतिपादित किया गया है।

9. हस्तगत मामले की घटना वर्ष 2023 की बताई गयी है। ऐसी स्थिति हम, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त), सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर (उपरोक्त)** व **नानू राम उर्फ चुहरू राम (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार घटना की तिथि को दृष्टिगत रखते हुए, मृतक की पत्नी अपीलार्थी संख्या–1 को ''स्पाउस कंसोर्टियम'' की मद में 48,000/– रुपये, मृतक के बच्चों अपीलार्थी संख्या–2 लगायत 4 प्रत्येक को ''पैरेण्टल कंसोर्टियम'' की मद में 48,000/– रुपये तथा मृतक की माता अपीलार्थी संख्या–5 को ''फिलियल कंसोर्टियम'' की मद में 48,000/– रुपये (कुल 2,40,000/– रुपये) की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

10. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को अंतिम संस्कार की मद में 18,000/– रुपये तथा सम्पदा की हानि के मद में 18,000/– रुपये की राशि

दिलवाई गयी है, जो **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार उचित प्रतीत होती है, इसमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

11. उक्तानुसार अपीलार्थीगण **पार्वती व अन्य** निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने की अधिकारी हैं :–

क्रम सं.	शीर्ष / मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (रूपये में)
1.	आश्रित आय की क्षति के मद में	9,31,095 / –
2.	कंसोर्टियम के मद में	कुल 2,40,000 / –
3.	अंतिम संस्कार के मद में	18,000 / –
4.	सम्पदा की हानि के मद में	18,000 / –
इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई कुल क्षतिपूर्ति राशि		**12,07,095 / –**
विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि (–)		10,15,095 / –
बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर		**1,92,000 / –**

12. तद्नुसार अपीलार्थीगण **पार्वती व अन्य** द्वारा प्रस्तुत **दीवानी विविध अपील संख्या–1803 / 2025,** आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण / क्लेमेंट्स को **10,15,095 / – रूपये** दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर **12,07,095 / – रूपये** का पंचाट पारित किया जाता है।

<u>दीवानी विविध अपील संख्या–1762 / 2025 :–</u>

13. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 18.03.2023 की बताई गयी है तथा वक्त घटना मृतक रामसिंह को खेतीबाड़ी व मजदूरी कर प्रतिमाह 20,000 / – रूपये की आय अर्जित करना अवश्य बताया गया है, किन्तु मृतक की आय के संबंध में अपीलार्थीगण द्वारा कोई ठोस साक्ष्य विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी है। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना मृतक को अकुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा जाकर तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर उसकी मासिक आय 8,550 / – रुपये, तद्नुसार वार्षिक आय 1,02,600 / – रुपये निर्धारित कर, उपरोक्त आय पर **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2017) 16 एस.सी.सी. 680** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त

के अनुसार मृतक रामसिंह की 34 वर्ष आयु को दृष्टिगत रखते हुए 40 प्रतिशत भविष्य वृद्धि अर्थात 41,040/– रुपये की बढ़ोतरी करते हुए मृतक की कुल वार्षिक आय 1,43,640/– रुपये निर्धारित की गई है।

14. तत्पश्चात् उपरोक्त निर्धारित आय पर **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2009) 6 एस.सी.सी. 121** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 16 का गुणक प्रयोग कर कुल 22,98,240/– रुपये क्षतिपूर्ति निर्धारित कर, उपरोक्त निर्धारित राशि में से वक्त घटना मृतक पर आश्रितों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/3 भाग अर्थात् 7,66,080/– रुपये की कटौती कर, आश्रित आय की मद में कुल 15,32,160/– रुपये की राशि अपीलार्थीगण **फोरी देवी व अन्य** को दिलवाई गई है, जो उचित प्रतीत होती है। इसमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

15. विद्वान अधिकरण द्वारा समस्त अपीलार्थीगण को एकमुश्त 48,000/– रुपये की राशि कंसोर्टियम की मद में दिलवाई गयी है। घटना वर्ष 2023 की बताई गई है। ऐसी स्थिति हम, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त), सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर (उपरोक्त)** व **नानू राम उर्फ चुहरू राम (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार घटना की तिथि को दृष्टिगत रखते हुए, मृतक की पत्नी अपीलार्थी संख्या–1 को ''स्पाउस कंसोर्टियम'' की मद में 48,000/– रुपये तथा मृतक के बच्चों अपीलार्थी संख्या–2 व 3 प्रत्येक को ''पैरेण्टल कंसोर्टियम'' की मद में 48,000/– रुपये (कुल 1,44,000/– रुपये) की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

16. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को अंतिम संस्कार की मद में 18,000/– रुपये तथा सम्पदा की हानि के मद में 18,000/– रुपये की राशि दिलवाई गयी है, जो **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार उचित प्रतीत होती है, इसमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

17. उक्तानुसार अपीलार्थीगण **फोरी देवी व अन्य** निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने की अधिकारी हैं :–

क्रम सं.	शीर्ष / मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (रूपये में)
1.	आश्रित आय की क्षति के मद में	15,32,160 / –
2.	कंसोर्टियम के मद में	कुल 1,44,000 / –
3.	अंतिम संस्कार के मद में	18,000 / –
4.	सम्पदा की हानि के मद में	18,000 / –
इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई कुल क्षतिपूर्ति राशि		**17,12,160 / –**
विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि (–)		16,16,160 / –
बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर		**96,000 / –**

18. तद्नुसार अपीलार्थीगण **फोरी देवी व अन्य** द्वारा प्रस्तुत **दीवानी विविध अपील संख्या–1762 / 2025,** आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण / क्लेमेंट्स को **16,16,160 / – रूपये** दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर **17,12,160 / – रूपये** का पंचाट पारित किया जाता है।

19. अपीलार्थीगण **पार्वती व अन्य** तथा अपीलार्थीगण **फोरी देवी व अन्य** को देय क्षतिपूर्ति राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जाएगी।

20. अपीलार्थीगण **पार्वती व अन्य** तथा अपीलार्थीगण **फोरी देवी व अन्य** द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थीगण **पार्वती व अन्य** तथा अपीलार्थीगण **फोरी देवी व अन्य** प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं।

21. इस निर्णय द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थीगण **पार्वती व अन्य** तथा अपीलार्थीगण **फोरी देवी व अन्य**, 08 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

22. तदनुसार उपरोक्त अपीलें निस्तारित की जाती हैं।

23. सभी लम्बित प्रार्थना–पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J

128-129-S/LOKESH RAJ